

प्रेसनोट दिनांक 16.08.2022

1. दिनांक 15.08.22 को वादी श्री विक्रम प्रजापति पुत्र स्व० रामकेवल प्रजापति नि० उसरू थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि उत्कर्ष सिंह उर्फ जय सिंह पुत्र अज्ञात नि० अज्ञात आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी का रास्त रोककर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 271/22 धारा 341, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.08.22 को वादी श्री अरूण कुमार यादव पुत्र कुत्तुर यादव नि० महावां सहाई दूबे का पुरवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 बीडी 0832 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मार कर घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 383/22 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.08.22 को वादी श्री अंगद पाण्डेय पुत्र स्व० बालगोविन्द नि० विद्यापुर थाना तारून अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र सुर्यभान नि० विद्यापुर थाना तारून अयोध्या। आदि 08 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर जमीनी विवाद को लेकर वादी के घर में घुसकर वादी व परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा घरेलू समान तोड़ देना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 235/22 धारा 147, 323, 504, 506, 427, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.08.22 को वादी उ०नि० श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर, अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा नि० ओरवा अमानीगंज थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 373/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.08.22 को वादी उ०नि० श्री अक्षय कुमार पटेल थाना इनायतनगर, अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा नि० ओरवा अमानीगंज थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चोरी की मो०सा० यूपी 45 एस 3762 हीरो स्पेलेण्डर प्रो बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 374/22 धारा 41/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 15.08.22 को वादी आरक्षी सद्दाम हुसैन थाना खण्डास अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मवीर पुत्र श्यामलाल नि० चमरूपुर थाना खण्डास अयोध्या। गिर० जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 188/22 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।